सारणी संबंधी टिप्पणियां

सारणी सं. 1

(1) वार्षिक आंकड़े माहों के औसत हैं ।

(2) आंकड़े माह / वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं ।

(3) निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का जोड़।

(4) केवल ऋण और अग्रिम से संबंधित हैं ।

(5) आंकड़े अंतिम शुक्रवार / रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के मामले में) से संबंधित हैं ।

(6) केवल मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और नई दिल्ली संबंधी जोड़ ।

(7) आंकड़े रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार / 31 मार्च से संबंधित हैं ।

(8) दर्शाई गईं निम्न/उच्च दरें संबंधित अवधि की हैं । बुलेटिन के अप्रैल 2000 अंक से पहले के आंकड़ों का स्रोत भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लि. रहा है। अप्रैल 2000 के अंक से बुलेटिन के आंकड़े मांग मुद्रा कारोबार के व्यापक क्षेत्र के कारण पूर्ववर्ती अवधि के आँकड़ों से पूर्णत: तुलनीय नहीं हैं ।

(9) प्रमुख बैंकों से संबंधित ।

(10) 5 प्रमुख बैंकों से संबंधित । मूल उधार दर संकल्पना अक्तूबर 1994 से लागू की गई थी ।

(11) मासिक आंकड़े सप्ताहों के औसत और वार्षिक आंकड़े माहों के औसत हैं।

(12) आंकड़े माह/वर्ष की समाप्ति से संबंधित हैं।

(13) आंकड़े जनवरी-दिसंबर से संबंधित हैं ।

(14) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नकदी आरक्षित अनुपात (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)।

सारणी सं. 2

निर्गम विभाग के स्वर्ण रिज़र्व का मूल्य 16 अक्तूबर 1990 तक प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपए की दर से निर्धारित था और 17 अक्तूबर 1990 से उसका मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मूल्य पर निर्धारित किया गया है ।

(1) जुलाई 1940 से जारी किए गए भारत सरकार के एक रुपया के नोट इसमें शामिल हैं ।

(2) इसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) 5 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी, (ii) 6,500 करोड़ रुपए की आरक्षित निधि (iii) 16 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि, तथा (iv) 30 नवंबर 2007 को समाप्त सप्ताह से 190 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि ।

(3) नकदी, अल्पावधि प्रतिभूतियाँ और सावधि जमाराशि शामिल हैं ।

(4) राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं ।

(5) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अन्य आस्तियों के अंतर्गत रखे गए सोने के मूल्य के द्योतक हैं ।

सारणी सं. 3 और 4

"बैंकिंग प्रणाली" अथवा "बैंक" अभिव्यक्ति से (क) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक (ख) राष्ट्रीकृत बैंक (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड 'ग' में यथापरिभाषित बैंकिंग कंपनियाँ, (घ) सहकारी बैंक (जहां तक अनुसूचित सहकारी बैंकों का संबंध है) (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और (च) इस बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य वित्तीय संस्था अभिप्रेत है ।

(1) राज्य सरकार से किसी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के उधार और किसी सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैंक के कार्यक्षेत्र के भीतर ऐसे बैंक के पास रखी जानेवाली अपेक्षित किसी आरक्षित निधि जमा को छोड़कर।

(2) इस मद में से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों के पास रखी गई सहकारी बैंकों की जमाराशि शामिल नहीं है, परंतु उसे 'कुल जमाराशि' में शामिल किया गया है।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधार शामिल नहीं हैं ।

(4) जहां कहीं 'बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं' मद में 'अन्य मांग और मीयादी देयताओं' के अंतर्गत अलग से आंकड़े देना संभव नहीं है, वहां उन्हें 'अन्य के प्रति देयताएं' के अंतर्गत 'अन्य मांग और मीयादी देयताएं' में शामिल किया गया है ।

(5) आंकड़े 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के प्रतिशोधन को दर्शाते हैं।

(6) भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात - आयात बैंक से इतर ।

(7) भारत में अनुसूचित बैंकों के उधार से संबंधित आँकड़े वही हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण में दिखाया गया है। मीयादी बिल और/अथवा वचन-पत्रों पर उधार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) के अधीन लिए गए हैं ।

(8) इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम-1934 की धारा 17 (4 अअ) के अधीन अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा लिए गए उधार शामिल हैं ।

(9) भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण के अनुसार ।

(10) इस मद में सहकारी बैंकों को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम शामिल नहीं हैं, बल्कि वे "ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट" में शामिल किए गए हैं ।

(11) बही मूल्य पर; इनमें खज़ाना बिल और खज़ाना प्राप्तियां, खज़ाना बचत प्रमाणपत्र और डाकख़ाने संबंधी देयताएं शामिल हैं ।

(12) इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए सहभागिता प्रमाण-पत्र शामिल हैं ।

(13) इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अन्य को जारी किए गए सहभागिता प्रमाण-पत्र शामिल हैं ।

(14) कोष्ठकों के आंकड़े खाद्यान्न की सरकारी खरीद के वित्तपोषण के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों से संबंधित हैं ।

सारणी सं. 6

(1) "अन्य" से मांग और मीयादी जमाराशियों का जोड़ ।

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गए उधार शामिल हैं ।

(3) बही मूल्य पर; उसमें खज़ाना बिल, खजाना प्राप्तियां, खज़ाना बचत प्रमाण पत्र और डाक संबंधी देयताएं शामिल हैं ।

(4) 'ऋण, नकदी ऋण और ओवर ड्राफ्ट' तथा 'खरीदे और भुनाए गए बिलों' का जोड़ ।

(5) इसमें मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम शामिल हैं ।

सारणी सं. 7

शताब्दी की तारीख में परिवर्तन के संदर्भ में चलनिधि के लिए किसी अप्रत्याशित अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से 1 दिसंबर 1999 से 31 जनवरी 2000 तक की अस्थायी अवधि के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) "विशेष चलनिधि सहायता" सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

(1) 13 अप्रैल 1996 से बैंकों को रुपया निर्यात ऋण तथा अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण को मिलाकर निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जा रही है।

(2) 21 अप्रैल 1999 से प्रभावी सामान्य पुनर्वित्त सुविधा के स्थान पर संपार्श्विक ऋण सुविधा (सीएलएफ) / अतिरिक्त संपार्श्विक ऋण सुविधा (एसीएलएफ) को लाया गया है । 05 जून 2000 से चलनिधि समायोजन सुविधा प्रारंभ की गई थी और एसीएलएफ को समाप्त कर दिया गया है । 5 अक्तूबर 2002 से सीएलएफ़ पूर्णत: समाप्त कर दी गई।

(3) 17 सितंबर 1998 से प्रारंभ की गई विशेष चलनिधि सहायता सुविधा 31 मार्च 1999 तक उपलब्ध थी ।

(4) अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गीकृत पोत लदानोत्तर ऋण योजना (पी एस सी एफ सी) 8 फरवरी 1996 से समाप्त कर दी गई और उस पर दी जानेवाली पुनर्वित्त सुविधा 13 अप्रैल 1996 से समाप्त कर दी गई । सरकारी प्रतिभूति पुनर्वित्त योजना 6 जुलाई 1996 से समाप्त कर दी गई।

सारणी सं. 8

(क) आंकड़े में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों और अन्य बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों दोनों के चेक समाशोधन शामिल हैं। कागज आधारित अंतर बैंक समाशोधन प्रक्रिया सभी केंद्रों में पिछले जून 2005 से समाप्त कर दी गई है।

अन्य एमआईसीआर केंद्र हैं, आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बड़ौदा, भीलवाड़ा, कोयम्बतूर, कटक, देहरादून, एर्नाकुलम, ईरोड, गोरखपुर, ग्वालियर, हुबली, इंदौर, जबलपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जम्मू, जोधपुर, कोल्हापुर, कोझीकोड, लखनऊ, लुधियाना, मदुराई, मंगलूर, मैसूर, नासिक, पणजी, पांडिचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, सालेम, सोलापुर, सूरत, तिरूचिरापल्ली, तिरुपुर, त्रिशुर, उदयपुर, वाराणसी, विजयवाड़ा एवं विशाखापट्टनम।

(ख) ग्राफ : पेपर और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर ग्राफ 3 और 4 में इलेक्टॉनिक भुगतान प्रणाली के आंकड़ों में खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियां, आरटीजीएस (ग्राहक तथा अंतर बैंक) और सीसीआइएल द्वारा चलित प्रणालियां शामिल हैं।

(ग) गैर - एमआइसीआर आंकड़े 10 बैंकों नामत: एसबीआइ (688), एसबीबीजे (50), एसबी इंदौर (27), पीएनबी (3), एसबीटी (81), एसबीपी (52), एसबीएच (51), एसबीएस (28), एसबीएम (46), और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (4) द्वारा संचालित समाशोधन गृहों से संबंधित है। (कोष्ठकों के आंकड़े बैंकों द्वारा संचालित गैर-एमआइसीआर समाशोधन गृहों की संख्याएं हैं)।

(घ) अन्य एमआइसीआर केंद्रों में 13 सरकारी क्षेत्र के बैंकों, नामत: आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित 44 केंद्र शामिल हैं।

सारणी सं. 9 अ

आंकड़ें खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से संबंधित हैं।

सारणी सं. 9 आ

आंकड़े उच्च मूल्य भुगतान प्रणाली से संबंधित हैं। चुनिंदा सेवाओं से संबंधित परिचालनों के सीसीआइएल के आंकड़े सीसीआइएल प्रकाशित आंकड़ों से लिए गए हैं।

सारणी सं. 10

(क) संशोधित श्रृंखला के अनुसार मुद्रा स्टॉक माप के ब्योरे के लिए इस बुलेटिन का जनवरी 1977 का अंक (पृष्ठ सं. 70-134) देखें ।

(ख) बैंकों में वाणिज्य और सहकारी बैंक शामिल हैं।

(ग) वित्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च से संबंधित हैं, किन्तु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं । ब्योरे के लिए इस बुलेटिन के अक्तूबर 1991 के अंक के पृष्ठ सां. 963 पर टिप्पणी देखें ।

(घ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियां 1 अक्तू. 2003 से रिसर्जेंट इंडिया बांड का और 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट का प्रतिशोधन दर्शाती हैं।

(ङ) आंकड़े अनंतिम हैं।

(1) अप्रैल 1985 तक पाकिस्तान से लगभग 43 करोड़ रुपए के भारतीय नोटों की निवल वापसी।

(2) अनुमानितः रुपया सिक्कों के अंतर्गत अक्तूबर 1969 से जारी किए गए दस रुपए के स्मारक सिक्के, नवंबर 1982 से जारी किए गए दो रुपए के सिक्के और नवंबर 1985 से जारी किए गए पांच रुपए के सिक्के शामिल हैं।

(3) इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ख़ाता सं. 1, भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान तथा अधिवर्षिता निधि, सहकारी गारंटी निधि के शेष तथा अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 और अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम के अंतर्गत वसूल की गई राशि शामिल नहीं है ।

(च) नए लेखांकन मानदंडों तथा संकलन-पद्धति (जून 1998) के अनुरूप संशोधित। यह संशोधन वाणिज्य बैंकों में स्थित पेंशन और भविष्य निधि के संबंध में हैं, जिन्हें अन्य मांग और मीयादी देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनमें उन बैंकों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब तक इस प्रकार के परिवर्तनों की सूचना दी है।

सारणी सं. 11 तथा 13

(क) 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना हो जाने पर रिज़र्व बैंक की कुछ आस्तियाँ और देयताएं नाबार्ड को अंतरित कर दी गईं । अतः, इस तारीख से मुद्रा स्टाक के कुल स्रोतों में कुछ पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता समझी गई ।

(ख) सारणी 10 की टिप्पणी की मद (ग) देखें ।

(ग) आंकड़े अनंतिम हैं।

(1) इसमें विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं और इसमें 11 दिसंबर 1992 से कोटा वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आरक्षित आस्तियों में अभिदान ख़ाते में जमा की गई 751.64 करोड़ रुपए (211.95 मिलियन वि. आ. अधि. के बराबर) की राशि भी शामिल है ।

(2) आँकड़े वित्तीय संस्थाओं के बांड/शेयरों में निवेश, उन्हें दिए गए ऋण तथा खरीदे और भुनाए गए आंतरिक बिल की धारिता के हैं । नाबार्ड की स्थापना से बैंकों को इसके पुनर्वित्त इसमें शामिल नहीं हैं ।

(3) इसमें स्वर्ण के पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप हुई वृद्धि शामिल है, जो 17 अक्तूबर 1990 को लागू अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मूल्य के बराबर इसका पुनर्मूल्यन किए जाने के बाद किया गया । इस वृद्धि का तदनुरूपी प्रभाव रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताओं पर पड़ा है ।

सारणी सं. 11 अ :

वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण के संकलन का संकल्पनात्मक आधार मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषणात्मक एवं संकलन पद्धति पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डॉ. वाई.वी. रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 1998 अंक में उपलब्ध है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों की रिपोर्टिंग प्रणाली में परिवर्तन की सिफारिश है और 'नए मौद्रिक समुच्चय : एक परिचय' नामक लेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 1999 में है ।

(1) निवासियों की मीयादी जमाराशि : इसमें अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा में मीयादी जमाराशियां (जैसे एफसीएनआर(बी) और रिसर्जेंट इंडिया बांड (आरआईबी) तथा इंडिया मिलेनियम जमाराशियों (आइएमडी) को निवासी मानदंडों के आधार पर गणना नहीं करनी है और बैंकों के पेंशन और भविष्य निधि को शामिल नहीं करना है, क्योंकि वे अन्य देयताओं के रूप में मानी गई हैं तथा उसे 'अन्य मांग और सावधि देयताओं' के अंतर्गत शामिल किया गया है ।

(2) अल्पावधि मीयादी जमाराशि : एक वर्ष तक और एक वर्ष की संविदागत मीयाद वाली आवधिक जमाराशियां हैं । फिलहाल ये कुल घरेलू मीयादी जमाराशियों का 45.0 प्रतिशत होनी अनुमानित हैं ।

(3) घरेलू ऋण : इसमें गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात वाली प्रतिभूतियाँ जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र, शेयर और बांड में बैंकों के निवेश शामिल हैं तथा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं परंपरागत बैंक ऋण में (ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा खरीदे और भुनाए गए बिलों के रूप में) किए गए निवेश के अलावा मांग / मीयादी मुद्रा बाज़ार में प्राथमिक व्यापारियों को दिए गए निवल उधार शामिल हैं ।

(4) वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां : अनिवासियों की विदेशी मुद्रा देयताएं घटाकर उनकी सकल विदेशी मुद्रा आस्तियां दर्शाती हैं ।

(5) पूंजी ख़ाता : इसमें चुकता पूंजी और रिज़र्व शामिल हैं ।

(6) अन्य मदें (निवल): वाणिज्य बैंकिंग सर्वेक्षण के घटक और स्रोत के शेष हैं जिसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अन्य मांग और मीयादी देयताएं, निवल शाखा समायोजन, निवल अंतर बैंक देयताएं आदि शामिल हैं ।

सारणी सं. 11 आ

नए मौद्रिक समुच्चय के संकलन का संकल्पनात्मक आधार, ''मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषणात्मक एवं संकलन पद्धति पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डॉ. वाई.वी. रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 1998 अंक में उपलब्ध है । पुरानी और वर्तमान मौद्रिक शृंखलाओं के बीच एक संपर्क शृंखला भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 1999 में 'नए मौद्रिक समुच्चय : एक परिचय' नामक लेख में प्रकाशित की गई है।

(1) एनएम$_2$ और एनएम$_3$: निवासी अवधारणा पर आधारित है और इसलिए इसे प्रत्यक्षतः एफसीएनआर(बी) जमाराशियों, रिसर्जेंट इंडिया बांड व आइएमडी के रूप में अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशि के रूप में नहीं गिना जाता ।

(2) एनएम$_2$: इसमें वाणिज्यिक बैंकों के एम$_1$ और निवासियों की अल्पावधि मीयादी जमाराशि (एक वर्ष और एक वर्ष तक की संविदागत मीयादी जमाराशि सहित) शामिल है ।

(3) घरेलू ऋण : बैंक ऋण की नई परिभाषा के अनुसार इसमें बैंकों के निवेश में गैर सांविधिक चलनिधि अनुपातवाली प्रतिभूतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी वाणिज्यिक-पत्र, शेयर और बांड एवं मांग / मीयादी मुद्रा बाज़ार में प्राथमिक व्यापारियों को निवल उधार शामिल है। वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋण में नाबार्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋण और अग्रिम शामिल किए जाएंगे । अन्य घटक जैसे सरकार को ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश और परंपरागत बैंक ऋण यथावत् हैं ।

(4) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां : इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियां और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां शामिल हैं (सारणी 11 अ की टिप्पणी 4 देखें) ।

(5) पूंजी ख़ाता : इसमें चुकता पूंजी और रिज़र्व शामिल हैं ।

(6) बैंकिंग प्रणाली की अन्य मदें (निवल) - ये मुद्रा स्टॉक के घटक और स्रोत के इतर अवशिष्ट हैं, जो बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताओं आदि के द्योतक हैं।

सारणी सं. 11 इ :

रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण के संकलन का संकल्पनात्मक आधार, मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषणात्मक एवं संकलन पद्धति पर कार्यकारी दल (अध्यक्षः डॉ. वाई.वी. रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 1998 अंक में तथा रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 1999 में 'नए मौद्रिक समुच्चय: एक परिचय' शीर्षक लेख में उपलब्ध है। आरक्षित मुद्रा के घटक (एम$_0$ के रूप में उल्लिखित) यथावत् हैं । स्रोतों के बारे में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भारतीय रिज़र्व बैंक का पुनर्वित्त, जो अब तक बैंकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दावे का एक भाग हुआ करता था, वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल गैर मौद्रिक देयताओं को पूंजी ख़ाता (पूंजी और रिज़र्व सहित) और अन्य मद (निवल) में वर्गीकृत किया गया है।

सारणी सं. 12

सारणी 10 की टिप्पणियों की मद (ग) देखें ।

सारणी सं. 27 इ

(क) चुनिंदा माह के अंतिम दिन के दौरान प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों पर एसजीएल लेनदेनों के आंकड़ों से निकाली गई चुनिंदा सांकेतिक प्रतिभूतियों की भारित औसत आय पर इंटरपोलेशन तकनीक का प्रयोग करते हुए विभिन्न पूर्णांकित मूल्यवाली अवशिष्ट परिपक्वताओं के लिए माह के अंत में आय के अनुमान लगाए गए हैं । किसी प्रतिभूति में प्रत्येक लेनदेन की तदनुरूप आय की गणना निम्नलिखित परिपक्वता आय और मूल्य संबंध के आधार पर की गई है।

$$P + bpi = \sum_{i=1}^{n} \frac{c/v}{(1+ {}^{y}/_{v})^{vt_i}} + \frac{F}{(1+ {}^{y}/_{v})^{vt_n}}$$

जहाँ

P = बांड मूल्य

bpi = खंडित अवधि के ब्याज

c = वार्षिक कूपन भुगतान

y = परिपक्वता आय

v = वर्ष के दौरान कूपन भुगतानों की संख्या

n = परिपक्वता तक कूपन भुगतानों की संख्या

F = बांड का प्रतिदान भुगतान

t_i = अंतिम कूपन भुगतान तक वर्ष में लिया गया समय

(ख) प्रत्येक बेची-खरीदी गई प्रतिभूतियों की तदनुरूप भारित औसत आय की गणना उस विशेष दिन को भार के रूप में कारोबार में प्रयुक्त राशिवाली (अंकित-मूल्य) प्रतिभूतियों पर सभी लेन-देनों से प्राप्त आय से निकाली गई है।

(ग) खंडित अवधि (दिनों की संख्या) माह के 30 दिन और वर्ष के 360 दिनों की परंपरा पर आधारित है।

सारणी सं. 29 और 30

सारणी 29 औद्योगिक उत्पादन (क्षेत्रवार और उपयोग आधारित वर्गीकरण) के सूचकांक प्रस्तुत करती है । खनन क्षेत्र के सूचकांकों में संशोधन तथा साथ ही रेडियो रिसीवर, फोटोसेन्सिटाइज्स पेपर, एचसीवी (बस, ट्रक) के चेसिस (एसेम्ब्ली) और विनिर्माण क्षेत्र की मदों के समूह से इंजिनों जैसी चार मदों को हटाने के कारण 1994-95 से आईआईपी आंकड़ों को संशोधित किया गया है। इसका परिणाम आईआईपी के उपयोग आधारित वर्गीकरण में भारांकों के पुन: वितरण में देखा गया। सारणी 30 में विनिर्माण क्षेत्र पर आंकड़े सामान्य सूचकांक और क्षेत्रीय सूचकांक अर्थात खनन और उत्खनन, विनिर्माण और बिजली सहित 17 समूहों के दो अंकीय स्तर पर हैं ।

सारणी सं. 31

(क) आंकड़ों में निजी स्थानन तथा बिक्री के लिए उपलब्ध संबंधित आंकड़े शामिल नहीं हैं, परंतु निजी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाई गई राशि शामिल है।

(ख) इक्विटी शेयर में बोनस शेयर शामिल नहीं हैं ।

(ग) अधिमान शेयरों में संचई परिवर्तनीय अधिमान शेयर तथा इक्विटी अधिमान शेयर शामिल हैं ।

(घ) डिबेंचर में बांड शामिल हैं ।

(ङ) परिवर्तनीय डिबेंचर में अंशतः परिवर्तनीय डिबेंचर भी शामिल हैं ।

(च) अपरिवर्तनीय डिबेंचर में जमानती प्रीमियम नोट और जमानती डीप डिस्काउंट बांड शामिल हैं ।

(छ) कोष्ठकों के आंकड़े पूंजी निर्गम पर प्रीमियम के आंकड़े हैं जो संबंधित जोड़ में शामिल हैं ।

सारणी सं. 35

सोने और चांदी के वायदा व्यापार पर क्रमशः दिनांक 14 नवंबर 1962 और 10 जनवरी 1963 से लागू प्रतिबंध को 1 अप्रैल 2003 से हटा लिया गया है।

(1) यदि शुक्रवार छुट्‌टी का दिन हुआ, तो ये मूल्य उसके पहले के कार्य-दिवस से संबंधित हैं ।

सारणी सं. 36

वार्षिक आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के माहों के औसत से संबंधित हैं ।

(1) 2001 = 100 को आधार मानकर सूचकांक की नई श्रृंखला जनवरी 2006 से लागू की गई है और इसके साथ ही 1982 को आधार वर्ष मानकर सूचकांक का संकलन बंद कर दिया गया है । जनवरी 2006 और बाद के महीनों से आंकड़ों के लिए आधार वर्ष 2001 का सूचकांक निकालने के लिए योजक तत्व का प्रयोग किया जा सकता है ।

(2) 78 केंद्रों के सूचकांक पर आधारित ।

सारणी सं. 37

वार्षिक आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के माहों के औसत से संबंधित हैं । 1984-85 = 100 पर आधारित सूचकांकों की नई शृंखला नवंबर 1987 से प्रारंभ की गई है।

(1) 59 केंद्रों के सूचकांक पर आधारित ।

सारणी सं. 38

वार्षिक आंकड़े जुलाई-जून माह के औसत से संबंधित हैं ।

(1) जुलाई 1960 - जून 1961 = 100 के आधार के संबंध में।

(2) जुलाई 1986 से जून 1987 = 100 की आधारवाली नई सूचकांक शृंखला नवंबर 1995 से शुरू की गई थी तथा जुलाई 1960 से जून 1961 के आधारवाले सूचकांक का संकलन बंद कर दिया गया । इस कालम में दिए गए योजक तत्वों का प्रयोग नवंबर 1995 तथा बाद के महीने के लिए पुराने आधार (अर्थात 1960-61 = 100) वाले सूचकांकों को निकालने के लिए किया जा सकता है ।

(3) असम के मामले में, पुरानी शृंखला (अर्थात 1960-61 = 100 के आधार के साथ) संयुक्त क्षेत्र अर्थात, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए संकलित की जा रही थी, जबकि नई शृंखला (अर्थात्, 1986-87 = 100 के आधार के साथ) इस संयुक्त क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग संकलित की गई है । पुराने आधार पर असम क्षेत्र के लिए सूचकांक का अनुमान निम्नलिखित नई शृंखला के तदनुरूपी सूचकांकों से किया जा सकता है :

$$I^{\text{अ}}_{\text{पु}} = 5.89 \, [\, (0.8126 \times I^{\text{अ}}_{\text{न}}) + (0.0491 \times I^{\text{म}}_{\text{न}}) + (0.0645 \times I^{\text{मे}}_{\text{न}}) + (0.0738 \times I^{\text{त्रि}}_{\text{न}})]$$

$I_{\text{पु}}$ तथा $I_{\text{न}}$ क्रमशः पुरानी और नई शृंखलाओं के सूचकांक के द्योतक हैं तथा ऊर्ध्व नाम अ, म, मे तथा त्रि क्रमशः असम, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा के द्योतक हैं ।

(4) इसी प्रकार, जहाँ पुरानी शृंखला (अर्थात 1960-61 = 100 के आधार पर) संयुक्त क्षेत्र अर्थात पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए संकलित की जा रही थी, वहीं पंजाब क्षेत्र के लिए पुराने आधार पर सूचकांक का अनुमान निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है :

$$I^{\text{प}}_{\text{पु}} = 6.36 \, [(0.6123 \times I^{\text{प}}_{\text{न}}) + (0.3677 \times I^{\text{ह}}_{\text{न}}) + (0.0200 \times I^{\text{हि}}_{\text{न}})]$$

$I_{\text{पु}}$ तथा $I_{\text{न}}$ क्रमशः पुरानी और नई शृंखला के द्योतक हैं और ऊर्ध्व नाम प, ह, हि क्रमशः पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के द्योतक हैं।

(5) राज्य के लिए सूचकांकों का संकलन सर्वप्रथम नवंबर 1995 में किया गया ।

(6) ग्रामीण श्रमिक (कृषि श्रमिक सहित) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन नवंबर 1995 से ही किया जा रहा है ।

(7) 8 माह (नवंबर 1995 से जून 1996) का औसत ।

सारणी सं. 39 और 40

1993-94 = 100 पर आधारित नई शृंखला अप्रैल 2000 में प्रारंभ की गई थी । नई शृंखला के क्षेत्र और व्याप्ति के ब्यौरे बुलेटिन के जून 2000 अंक में प्रकाशित किए गए हैं ।

सारणी सं. 41

(क) विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े निजी और सरकारी ख़ाते में समुद्री, वायु और सड़क मार्ग से हुए कुल व्यापार से संबंधित हैं । निर्यात एफ ओ. बी. आधार पर तथा आयात सी.आइ.एफ. आधार पर हैं। निर्यात में भारत को पहले आयात किए गए विदेशी व्यापारिक माल का पुनर्निर्यात शामिल है तथा आयात विदेशी व्यापारिक माल, चाहे वह गृह उपयोग, बंधक अथवा पुनर्निर्यात के लिए हो, से संबंधित है। प्रत्यक्ष मार्गस्थ व्यापार, पोतांतरण व्यापार, यात्रियों के सामान, पोत भंडार, रक्षा वस्तुएं तथा कोषागार अर्थात्, स्वर्ण, चालू सिक्के तथा नोट में लेनदेन, राजनयिक वस्तुएं, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत ''अभिनिषिद्ध वस्तुएं'' व्यापार आंकड़ों में शामिल नहीं हैं, जबकि अप्रत्यक्ष मार्गस्थ व्यापार, चांदी (चालू सिक्के से इतर) तथा अभी तक जारी न किए गए अथवा परिचालन से निकाले गए नोट व सिक्के में लेनदेन शामिल हैं।

सारणी सं. 42 तथा 43

(1) 1980-81 तक के आंकड़े अंतिम हैं, उसके बाद के आंकड़े प्रारंभतः वास्तविक हैं।

(2) वर्ष में उपचित और अनिवासी भारतीय जमाराशि खाते में जमा किए गए ब्याज को अदृश्य भुगतान के अंतर्गत सांकेतिक बहिर्गमन माना गया है तथा उसे बैंकिंग पूंजी-अनिवासी जमा के अंतर्गत अनिवासी भारतीय जमाराशि में पुनर्निवेश के रूप में जोड़ा गया है ।

(3) भुगतान संतुलन संबंधी अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष मैनुअल (पांचवां संस्करण) के अनुसार मई 1993 से "गैर मौद्रिक स्वर्ण गतिविधियां" नामक मद अदृश्य मदों से हटा दी गई है । इन प्रविष्टियों को व्यापारिक माल के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(4) वर्ष 1990-91 से रक्षा संबंधी आयात का मूल्य आयात (व्यापारिक-नामे) के अंतर्गत दर्ज किया गया है तथा ऐसे आयात को वित्तपोषित करनेवाले ऋण पूंजी ख़ाते में "ऋण (भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधार)" के अंतर्गत दर्शाए गए हैं । सामान्य मुद्रा क्षेत्रवाले रक्षा ऋण संबंधी ब्याज भुगतान, निवेश आय नामे के अंतर्गत और मूल चुकौती "ऋण (भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधार)" नामे के अंतर्गत दर्ज की जाती है । रुपया भुगतान क्षेत्र के मामले में ऋण के ब्याज का भुगतान और उसके मूलधन की चुकौती को एकसाथ मिलाकर पूंजी ख़ाते में मद "रुपया ऋण चुकौती" के अंतर्गत अलग से दिखाया जाता है। यह भुगतान संतुलन संबंधी उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष :डॉ. सी. रंगराजन) की सिफ़ारिश के अनुरूप है।

(5) अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के भुगतान संतुलन मैनुअल (5 वां संस्करण) के प्रावधान के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत सरकार से खरीदा गया स्वर्ण भुगतान संतुलन की सांख्यिकी से अलग रखा गया है । अतः इससे पहले वर्षों के आंकड़ों को "अन्य पूंजीगत प्राप्तियां" तथा "विदेशी मुद्रा रिज़र्व" में यथोचित समायोजन करते हुए संशोधित कर दिया गया है । इसी प्रकार "वि. आ. अ. आबंटन" मद को सारणी से निकाला गया है।

(6) भुगतान संतुलन समाधान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट तथा वाणिज्यिक व्यापार पर वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय की सिफ़ारिश के अनुसार विदेश से लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाए गए सोने-चांदी के आँकड़े आयात भुगतान के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तथा उनकी प्रति-प्रविष्टि 1992-93 से निजी अंतरण प्राप्तियों के अंतर्गत की गई है ।

(7) अं.मु. कोष के भुगतान संतुलन मैनुअल (5 वां संस्करण) के अनुसार 1997-98 से 'कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति' मद को 'आय' शीर्ष में दर्शाया गया है; इसके पहले 'कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति' मद को 'सेवा-विविध' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता था।

(8) अप्रैल 1998 से संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद को सेवा में 'यात्रा' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(9) विनिमय दर : विदेशी मुद्रा के लेनदेन को जून 1972 तक सममूल्य/केंद्रीय दर पर रुपए में परिवर्तित कर दिया गया है और उसके बाद इनको लंदन बाज़ार में प्रचलित दर के आधार पर स्टर्लिंग के लिए बैंक के हाजिर क्रय और विक्रय की औसत दर पर तथा गैर-स्टर्लिंग मुद्रा की मासिक औसत विनिमय दर पर रुपए में परिवर्तित किया गया है । मार्च 1993 से यह परिवर्तन विदेशी मुद्रा बाज़ार में अमरीकी डॉलर के लिए हाज़िर खरीद और बिक्री की औसत विनिमय दर पर और लंदन बाज़ार पर आधारित डॉलर से इतर मुद्रा की औसत मासिक विनिमय दर पर किया जाता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

भुगतान संतुलन एक सांख्यिकीय विवरण है, जो विशिष्ट कालावधि के लिए शेष विश्व के साथ अर्थव्यवस्था के आर्थिक लेनदेनों का सुव्यवस्थित रूप से संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

वाणिज्यिक जमा मालों के निर्यात से संबंधित है जबकि **वाणिज्यिक नामे** मालों के आयात के द्योतक हैं।

यात्रा में अनिवासी द्वारा देश में उनके ठहरने के दौरान किए गए व्यय और विदेश में निवासी यात्रियों द्वारा किए गए व्यय शामिल हैं।

परिवहन में अंतरराष्ट्रीय परिवहन सेवाओं से संबंधित प्राप्तियों और भुगतानों का समावेश हैं।

बीमा में सभी प्रकार की बीमा सेवाओं से संबंधित प्राप्तियाँ और भुगतान एवं पुनः बीमा भी शामिल हैं।

सरकारी अन्यत्र अपरिगणित (जी.एन.आइ.ई) सरकार के ख़ाते में प्राप्तियों और भुगतानों, जो अन्यत्र शामिल नहीं है, एवं दूतावास तथा राजनयिक मिशनों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालयों के रखरखाव के कारण प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित है।

विविध में संचार सेवाओं, निर्माण सेवाओं, साफ्टवेअर सेवाओं, तकनीकी जानकारी, रायल्टी आदि जैसी सभी अन्य सेवाओं के संबंध में प्राप्तियां और भुगतान शामिल हैं।

अंतरण (सरकारी, निजी) बिना किसी प्रतिकर के प्राप्ति और भुगतान के द्योतक हैं।

निवेश आय लेनदेन ब्याज, लाभांश, लाभ के रूप में हैं तथा अन्य पूंजीगत लेनदेनों की सर्विसिंग के लिए हैं। निवेश आय प्राप्तियों में अनिवासियों को ऋणों पर प्राप्त ब्याज, विदेशी निवेश पर भारतीयों द्वारा प्राप्त लाभांश। अभिलाभ, विदेश में भारतीय एफडीआइ कम्पनियों के पुनर्निवेशित अर्जन, डिबेंचरों पर प्राप्त ब्याज, अस्थायी दर नोट (एफआरएन), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा ऋणों/निर्यात आगमों पर विदेश में रखी सावधि जमाराशियाँ एवं निधियाँ, विदेशी सरकारों द्वारा करों की वापसी/ अनिवासियों द्वारा करों के भुगतान, भारिबैंक निवेश पर ब्याज/बट्टा अर्जन आदि शामिल हैं। निवेश आय भुगतान में अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज भुगतान, अनिवासियों से ऋणों पर ब्याज भुगतान, अनिवासी शेयरधारकों को अभिलाभ/लाभांश का भुगतान, एफडीआइ कम्पनियों के पुनर्निवेशित अर्जन, डिबेंचरों, अस्थायी दर नोटों, वाणिज्यिक पत्रों, सावधि-जमाराशियों, सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान, विशेष आहरण अधिकार पर प्रभार आदि शामिल हैं।

विदेशी निवेश के दो घटक हैं - प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ़डीआइ) और संविभागगत निवेश।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वर्ष 1999-2000 तक भारत को और भारत द्वारा मुख्यतः इक्विटी पूँजी समाहित है। अंतरराष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों के अनुरूप एफ़डीआई का दायरा 2000-01 से बढ़ाकर उसमें इक्विटी पूँजी के अलावा पुनर्निवेशित अर्जन (एफ़डीआइ कम्पनियों के धारित अर्जन) और 'अन्य प्रत्यक्ष पूँजी, (संबद्ध संस्थाओं के मध्य अंतर-कंपनी ऋण लेनदेन) शामिल किए गए हैं। इक्विटी पूँजी के डाटा में निगमित निकायों की इक्विटी के अलावा अनिगमित संस्थाओं (मुख्यतः भारत में विदेशी बैंक शाखाओं तथा विदेश में परिचालित भारतीय बैंक शाखाओं) की इक्विटी शामिल हैं। अद्यतन वर्ष के पुनर्निवेशित अर्जनों पर डाटा का अनुमान पिछले दो वर्षों के औसत के रूप में लगाया गया है, चूँकि ये डाटा एक वर्ष के समयान्तर में उपलब्ध हैं। उक्त परिशोधन को ध्यान में रखकर, एफडीआइ डाटा, पिछले वर्षों के समान डाटा से मिलान योग्य नहीं है। भुगतान संतुलन (बीओपी) के संकलन के मानक व्यवहार के संदर्भ में, एफ़डीआइ डाटा के उक्त परिशोधन भारत की समग्र बीओपी स्थिति को प्रभावित नहीं करता क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार की अभिवृद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर भी, बीओपी की रचना में परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन निवेश आय, बाह्य वाणिज्यिक उधार तथा भूलचूक से संबंधित हैं। पुनर्निवेशित आय के मामले में, चालू खाते में निवेश आय के तहत समान मात्रा की प्रति प्रर्विष्टि (नामे) होंगीं। ''अन्य पूंजी'', जो एफ़डीआई अन्तर्वाह के भाग के रूप में सूचित थी, को उसी राशि के द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के तहत सूचित आंकड़ों से निकाला गया। विदेश में भारतीय कंपनियों द्वारा ''अन्य पूँजी'' तथा अनिगमित निकायों की इक्विटी पूँजी वर्ष 2000-01 व 2001-02 की भूल-चूक में समायोजित हैं।

संविभागीय निवेश में प्रमुखतः एफआइआइ निवेश, भारतीय कंपनियों द्वारा जीडीआर/ एडीआर के जरिए और अपतटीय निधियों के माध्यम से जुटाई निधियां शामिल हैं। अब तक सूचित विदेशी निवेश के आंकड़े 2000-01 से इक्विटी पूंजी तथा संविभागीय निवेश के रूप में अलग किए गए।

बाह्य सहायता से तात्पर्य भारत द्वारा विभिन्न करारों के तहत अन्य विदेशी सरकारों को प्रदान वित्तीय सहायता एवं ऐसे ऋणों की चुकौती अभिप्रत है। भारत को बाह्य सहायता में भारत सरकार तथा अन्य सरकारों / अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच करारों के तहत प्राप्त बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण और भारत द्वारा ऐसे ऋणों की चुकौती शामिल हैं, पूर्ववर्ती ''रुपया क्षेत्र'' देशों को चुकाए ऋण छोड़कर, जो रुपया ऋण सेवा के तहत समाहित हैं।

वाणिज्यिक उधार में सभी मध्यावधि / दीर्घावधि ऋण शामिल हैं। भारत द्वारा वाणिज्यिक उधार विभिन्न देशों को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एग्ज़िम बैंक) द्वारा दिए गए ऋण और ऐसे ऋणों की चुकौती के द्योतक है। भारत को वाणिज्यिक उधार क्रेता के ऋण, आपूर्तिकर्ता के ऋण, अस्थायी दर वाले नोटों (एफआरएन), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), बांडों, भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में जारी, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) को शामिल करते हुए ऋणों के आहरण / चुकौती के द्योतक हैं। इसमें भारत विकास बांड, (आइडीबी), रिसर्जेंट इंडिया बांड, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट (आइएमडी) भी शामिल हैं।

अल्पावधि ऋण एक वर्ष से कम परिपक्वतावाले ऋणों के संबंध में आहरण, उपयोग और चुकौती को निर्दिष्ट करता है।

बैंकिंग पूँजी के तीन घटक हैंः (क) वाणिज्यिक बैंकों (एडी) की विदेशी आस्तियाँ (ख) वाणिज्यिक बैंकों (एडी) की विदेशी देयताएँ (ग) अन्य। वाणिज्यिक बैंकों की 'विदेशी आस्तियाँ' हैं- (i) विदेशी मुद्रा धारिताएं (ii) अनिवासी बैंकों को रुपया ओवरड्राफ्ट/वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी देयताओं में है- (i) अनिवासी जमाराशियाँ जिसमें विभिन्न अनिवासी जमा योजनाओं की प्राप्तियाँ और मोचन तथा (ii) अनिवासी जमाराशियों से इतर देयताएँ, जिसमें अनिवासी बैंकों और सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं को रुपया तथा विदेशी मुद्रा देयताएँ शामिल हैं। बैंकिंग पूंजी के तहत 'अन्य' में विदेशी केंद्रीय बैंकों के तथा भारि बैंक के साथ रखे गए आइबीआरडी, आइडीए, एडीबी, आइएफसी, आइएफएडी आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के शेष में चलन साथ ही लन्दन और टोकियो में भारत के दूतावासों द्वारा धारित शेष में चलन शामिल हैं।

रुपया ऋण चुकौती में रुपया भुगतान क्षेत्र (आरपीए) के संबंध में सिविलियन और नॉन-सिविलियन ऋण खाते में मूलधन की चुकौती और उस पर ब्याज भुगतान शामिल है।

अन्य पूंजी में मुख्यत: निर्यात प्राप्तियों में 'लीड्स' और 'लैग्स' (कस्टम डाटा तथा बैंकिंग चैनल के डाटा के बीच अंतर) शामिल हैं। इसके अलावा, अन्य मद में विदेश में धारित निधियां, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भारत का अभिदान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कोटा भुगतान, शाखा / अनुषंगियों की हानियों की पूर्ति संबंधी विप्रेषण तथा अन्यत्र शामिल न किए गए अन्य पूँजी लेनदेनों की अवशिष्ट मद शामिल हैं।

आरक्षित निधियों में घटबढ़ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों में और भारत सरकार द्वारा धारित एसडीआर की शेष राशियों में परिवर्तन शामिल हैं। मूल्यांकन के कारण होनेवाले परिवर्तनों को अलग करने के बाद ये रिकार्ड किए जाते हैं। मूल्यांकन परिवर्तन इसलिए होते हैं कि विदेशी मुद्रा आस्तियाँ अमरीकी डॉलर में अभिव्यक्त होती हैं और ये प्रारक्षितों में धारित गैर-अमरीकी मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) की मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास के प्रभाव को शामिल करते हैं।

सारणी सं. 44

1. स्वर्ण का मूल्यन माह के दौरान औसत लंदन बाज़ार मूल्य पर है।
2. एसडीआर को अमरीकी डॉलर में बदलवाना अंमुको (आइएमएफ़) द्वारा जारी विनिमय दरों पर होता है।
3. विदेशी मुद्रा आस्तियों का अमरीकी डॉलर (यूएस $) में परिवर्तन न्यूयार्क समापन विनिमय दरों पर सप्ताहांत में (सप्ताह के अंत के आँकड़ों के लिए) तथा माह के अंत (माह के अंत के आँकड़ों के लिए) में होता है।
4. विदेशी मुद्रा धारिताएँ रुपया-अमरीकी डॉलर भारि बैंक धारिता दरों पर रुपए में बदलवाए जाते हैं।
5. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित शृंखला स्थिति (आरटीपी)का समावेश अंतरराष्ट्रीय उत्तम संव्यवहारों से मेल खाने हेतु 2 अप्रैल 2004 से विदेशी मुद्रा भंडार में है। तदनुसार, विदेशी विनियम भंडार के आंकड़ों को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरटीपी स्थिति को शामिल करने के लिए 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान परिशोधित किया गया है।

सारणी सं. 51

दिसंबर 2005 में वाप्रविद (रीर)/सांप्रविद (नीर) के 5 देश के सूचकांकों के स्थान पर 6 मुद्रा सूचकांक रखे गए। भारिबैंक के दिसंबर 2005 के बुलेटिन में रिप्लेसमेंट की तर्कसंगतता एवं प्रणाली पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया गया है। 6 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांकों को बनवाने हेतु समीक्षा जारी है। यह संशोधन अप्रैल-मई 2006 के दौरान चीनी मुद्रास्फीति सूचकांको में आकस्मिक उछाल के कारण जरुरी हो गया था। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पब्लिक डोमेन पर चीनी मुद्रास्फीति सूचकांक सहज उपलब्ध नहीं हैं। सांख्यिकी पर राष्ट्रीय ब्यूरो पब्लिक डोमेन में मासिक आधार पर केवल बिंदु-दर-बिंदु मुद्रास्फीति दर उपलब्ध कराता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1993-94 को आधार वर्ष मानकर मुद्रास्फीति दरों को हिसाब में लेते हुए मुद्रास्फीति सूचकांक रखे गए हैं। साथ ही, इस बात का उल्लेख करना जरुरी है कि जनवरी 1993 से दिसंबर 1995 तक की अवधि में चीन की मुद्रास्फीति दर निरंतर दो अंकीय बनी रही। चीनी मुद्रास्फीति सूचकांकों (आधार:1993-94=100) की ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति के कारण अप्रैल 2006 में 6 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के मूल्य में तीव्र गिरावट हुई। चीनी मुद्रास्फीति संख्या में अचानक उछाल के कारण वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में हुई गडबड़ को हटाने के लिए चीनी मुद्रास्फीति सूचकांकों की नई शृंखला 1990 को आधार वर्ष (ऐसा वर्ष जिसमें मुद्रास्फीति दरों में बहुत कम उतार चढ़ाव था) मानकर शुरू की गई। परिणामस्वरूप, 6 मुद्रा वाप्रविद (आधार 1993-94=100) बनाने में सुविधा की दृष्टि से चीनी मुद्रास्फीति सूचकांकों की नई शृंखला का आधार वर्ष 1990 से बदलकर 1993-94 कर दिया गया।

सारणी सं. 53

(क) भारत सरकार की 6 जुलाई 1982 की अधिसूचना सं. 10(45)/ 82-एसी(5) के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (खंड 4 के उपखंड (क) को छोड़कर) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को दिए गए ऋण और अग्रिम तथा 11 जुलाई 1982 को बकाया राशि नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण और अग्रिम माने जाएंगे। नाबार्ड की स्थापना की तारीख अर्थात् 12 जुलाई 1982 से (i) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(4)(क) के अंतर्गत सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर सामान्य बैंकिंग कारोबार के प्रयोजन के लिए तथा (ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(2) (खख) के अंतर्गत शहरी सरकारी बैंकों की ओर से दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम को छोड़कर भारतीय रिज़र्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम नहीं देता। भा.रि. बैंक अधिनियम 1934 की धारा 17 (4) (क) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों को दिए गए ऋण और अग्रिम इस सारणी के अंतर्गत नहीं आते हैं।

(ख) नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21, 22 और 24 की विभिन्न उप-धाराओं के अधीन अग्रिम दिए गए हैं। बकाया राशियाँ अवधि समाप्ति से संबंधित हैं।

(1) इनमें अल्प वन उत्पाद के विपणन के लिए रु. 10 लाख की अग्रिम राशि शामिल है।

सारणी सं. 54

बकाया राशि अवधि समाप्ति से संबंधित हैं और इसमें देश की विभाजन-पूर्व देयताओं में भारत संघ का अंश शामिल है तथा चुकौतियों में भारतीय निवेशकर्ताओं की विभाजन-पूर्व की चुकौतियाँ शामिल हैं।

(1) प्राप्ति और बकाया राशियों में जमाकर्ताओं के ख़ाते में समय-समय पर जमा किया गया ब्याज भी शामिल है। बकाया राशियों में निष्क्रिय बचत बैंक ख़ातों के अंतर्गत शेषराशियाँ भी शामिल हैं।

(2) ये 5 वर्षीय, 10 वर्षीय और 15 वर्षीय संचयी मीयादी जमाराशियों से संबंधित हैं।

(3) लोक भविष्य निधि (पीपीएफ़) के आंकड़े डाक-घर के लेनदेनों से संबंधित हैं तथा बैंकों द्वारा संगृहीत पीपीएफ़ शामिल नहीं है।

(4) केवल सामाजिक सुरक्षा प्रमाणपत्रों से संबंधित हैं।

(5) इनमें सार्वजनिक भविष्य निधि शामिल नहीं हैं।

(6) गलत वर्गीकरण के शुद्धिकरण के कारण आंकड़े ऋणात्मक हैं।

सारणी सं. 55

राशियाँ अंकित मूल्य के अनुसार हैं।

(1) मूल्य आधारित नीलामियों पर पुन: जारी प्रतिभूतियों को दर्शाती हैं।

(2) मूल्य आधारित नीलामियों के जरिए नए निर्गम।

(3) 23 मई 2000 को टैप निर्गम बंद।

(4) प्रतिफल आधारित नीलामियां।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक के पास निजी स्थानन।

(6) आधार दर के ऊपर मार्जिन दायरा (स्प्रेड) प्रथम छह माह के लिए कूपन दर 5.09% है।

(7) आधार दर के ऊपर मार्जिन दायरा (स्प्रेड) प्रथम छह माह के लिए कूपन दर 7.01% है।

(8) आधार दर के ऊपर मार्जिन दायरा (स्प्रेड) प्रथम छह माह के लिए कूपन दर 6.98% है।

(9) एकसमान मूल्य नीलामी।

(10) गैर प्रतियोगी बोली लगानेवालों को औसत आय/प्रतियोगी बोली मूल्य पर आबंटन ।

(11) बाइ-बैक नीलामी में पुन: खरीदी गई 19 प्रतिभूतियों के समकक्ष अंकित मूल्य हेतु पुन: जारी चार प्रतिभूतियाँ।

(12) बाज़ार स्थिरीकरण योजना।